

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37(09)परावि/प्रशा2./मंत्रा/स्था विविध/2021/2299

जयपुर दिनांक 30/09/21

::आदेश ::

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सहायक कर्मचारी का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	मदन लाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	पंचायत समिति बदनौर / करेड़ा / रायपुर / आसीन्द / बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा
2	कैलाश रैगर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	पंचायत समिति बदनौर / करेड़ा / रायपुर / आसीन्द / बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा
3	दुर्गालाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़	पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
4	कमलेश वैष्णव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा) से पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा)
5	राधेश्याम चित्तौड़ा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा) से पंचायत समिति बिजौलिया (भीलवाड़ा) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा)
6	विमला धोबी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति बिजौलिया (भीलवाड़ा) से पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति बिजौलिया (भीलवाड़ा)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

5. उक्त सूची में यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवगठित पंचायत समिति में करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु नवगठित पंचायत समिति के प्रधान/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न नहीं हुए है तो उन पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे।



(विजयपाल सिंह)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (i)

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एलटी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव/सहायक, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
7. सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, द्वारा जिला परिषद्/पं.स.



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (i)